>

Title: Further discussion on the motion for consideration of the New Delhi Municipal Council (Amendment) Bill, 2010 moved by Shri Mullappally Ramachandran on the 6th August, 2010. (Discussion Not Concluded).

MADAM SPEAKER: Now, Item No. 13, the New Delhi Municipal Council (Amendment) Bill, Shri Kirti Azad.

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा): अध्यक्ष महोदया, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010 गत शुक्रवार को कार्य-सूची में था जिसपर मुझे गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक से पहले एक मिनट बोलने का अवसर मिला था। यह विधेयक बिलकुल नया है और देखा जाये तो इस विधेयक को पहले स्टैंडिंग कमेटी में डिसकशन के लिये जाना चाहिये लेकिन यह स्टैंडिंग कमेटी में नहीं भेजा गया।

अध्यक्ष महोदया, इस विधेयक पर मेरे कुछ सुझाव हैं। इस विधेयक में जो संशोधन हो रहा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। इस क्षेत्र के जो संसद सदस्य थे, वह एक स्पेशल इनवाइटी के रूप में आते थे जिन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं था। यह तो अच्छी बात है कि इसको विधेयक में जोड़ा गया है। पहले एनडीएमसी. क्षेत्र में तीन विधायक हुआ करते थे, डिलिमिटेशन के बाद दो रह गये हैं, उसके लिये सरकार कुछ नहीं कर सकती, वे रखने पड़ेंगे। जो इस क्षेत्र से चुने हुये प्रतिनिधि हैं, वह चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी अध्यक्षता हर मीटिंग में होगी, यह एक अच्छा सुझाव है और उसके बाद जो सासंद रहेंगे, उनका होगा। मैं सरकार से प्रोटोकोल के विषय में एक प्रश्न जानना चाहता हूं कि यदि नई दिल्ली क्षेत्र से केन्द्र के ही होम मिनिस्टर हों तो ऐसी स्थिति में चीफ मिनिस्टर, जिनका कोई अधिकार क्षेत्र एनडीएमसी में नहीं पड़ता है, क्या वहां वह अध्यक्षता करेंगी और जो होम मिनिस्टर, कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, क्या उनके अधीन बैठेंगी? साथ ही लोकल सैल्फ गवर्नमेंट की हम लोगों ने सदैव बात की है और एनडीएमसी ऐरिया में जिस प्रकार से कैनटोनमेंट तक ऐरिया में एमसीडी का क्षेत्र है या कहीं पर कॉरपोरेशन हैं, वहां पर चुनी हुई ईकाईयां होती। केवल यह एनडीएमसी ही ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि चुनी हुई ईकाई नहीं है। जनसंघ या बीजेपी काल से हमारी पार्टी सदा इसका समर्थन करती रही है कि एनडीएमसी को एक चुनी हुई ईकाई होना चाहिये। इसमें तीन सदस्य - दो विधायक और एक सांसद रहेंगे।

13.00 hrs.

उसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं, लेकिन यहां पर दो और नामित लोग जोड़े जायेंगे और नामित चार हो जायेंगे। जहां पर एक चुनी हुई इकाई होनी चाहिए, जहां केवल चुने हुए सदस्य तीन हों और नामित दो से बढ़ाकर चार कर दिये जायें, जो हाथ उठाऊ सदस्य बन जायें, जो ये कहें, वे उसे मानें, हम अपनी तरफ से इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं और हम सभी नोज़ में इस बात को खत्म करेंगे। मैंने दो अमेंड्मेंट्स आज मूव की हैं। मेरा सबसे पहले आपसे यह अनुरोध है कि नया बिल होने के नाते यह स्टैंडिंग कमेटी को जाना चाहिए। यदि यह बिल स्टैंडिंग कमेटी को नहीं जाता है तो ये जो दो और नॉमिनेटिड, हाथ उठाऊ सदस्य हैं, मैं उनका समर्थन नहीं करूंगा।

महोदया, मैंने अमेंडमेंट दिया है कि इसमें जो ये दो नये सदस्य आ रहे हैं, दो तो पहले ही मुख्यमंत्री की तरफ से नामित होते हैं, उनकी तरफ से एक कंसल्टेशन में नॉमिनेट किये जाते हैं। मैंने अपना अमेंडमेंट दिया है कि इस क्षेत्र में लोक सभा और राज्य सभा के लगभग लगभग 800 संसद सदस्य रहते हैं। जो अधिकतर एनडीएमसी या किन्हीं अन्य स्थानों पर जाते रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं होती है। हम आपके पास आकर उन समस्याओं के समाधान हेतु अपनी बात रखते हैं। मैंने अपनी ओर से यह अमेंडमेंट दिया है कि जो दो नये नॉमिनेट होंगे, उसमें से एक आपकी तरफ से, The Speaker of the House, Lok Sabha, should nominate one of the Members. यह मैंने इसके अंदर एक अमेंडमेंट भेजा है। आज आपके पास मैक्सिको के लोग आये थे। सारे दूतावास आपके क्षेत्र में पड़ते हैं। जिसे कभी पार्लियामेंट में आना हो या पार्लियामेंट के सदस्यों को या दूतावास या आई.ए.एस. या आई.पी.एस. अधिकारियों, यहां तक कि अपने देश की राष्ट्रपति इसी नई दिल्ली क्षेत्र में रहती हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक हो जाता है। चार नॉमिनेटिड सदस्य मुख्यमंत्री की तरफ से, जिस मुख्यमंत्री का इस नई दिल्ली नगर निगम क्षेत्र से कोई वास्ता नहीं है, इसे मैं बिल्कुल भी उचित नहीं समझता हूं। इसलिए मेरे अमेंडमेंट में यह था कि ये जो दो नये सदस्य आ रहे हैं, उसमें से एक सदस्य आपकी तरफ से नामित हो। आप इस पूरे क्षेत्र को देखती हैं, इसलिए आपके अधीन एक नॉमिनेटिड आदमी होना चाहिए। दूसरा, क्योंकि धारा 144 नई दिल्ली क्षेत्र में सदैव लगी रहती है क्योंकि विदेश से कोई न कोई आते रहते हैं। चार से ज्यादा लोग एक-साथ एकत्रित नहीं हो सकते हैं। यहां की संगीन परिस्थिति को देखते हुए मैंने यह कहा है कि आप जो दूसरा व्यक्ति नामित करने वाले हैं, वह व्यक्ति कमिश्नर ऑफ पुलिस, दिल्ली का होना चाहिए, जो कम से कम यहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालकर देख सके। ये दो जो नामित सदस्य हैं, इनके लिए यह अमेंडमेंट मैंने अपनी तरफ से भेजा है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय पवन कुमार बंसल जी से अनुरोध करूंगा, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं कि चूंकि यह नया बिल है, यह लिस्ट में लगा था, इसलिए मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ था, इसलिए इस बिल को पहले स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाये और स्टैंडिंग कमेटी में, जो एक चुनी हुई निकाय सब जगह हैं, इसे उस प्रकार से बनाने के लिए विचार किया जाये। यदि इस पर विचार नहीं किया जाता है तो ये जो संशोधन मैंने आज रखे हैं, अगर इन संशोधनों को यह सरकार इसके साथ पास करती है, मैंने कोई राजनीतिक संशोधन नहीं रखे हैं, आप राजनीतिज्ञ नहीं हैं, आपकी कुर्सी हम सबके लिए सबसे बड़ी है। इसलिए जो दो नॉमिनेटिड सदस्यों के लिए मैंने कहा है, सरकार इसे मानती है, हाथ उठाऊ सदस्यों का समर्थन हम करने वाले नहीं हैं, अगर सरकार इन अमेंडमेंट को करेगी तो हम सरकार का समर्थन करेंगे। अगर यह सरकार हमारे इन दो अमेंडमेंट्स को नहीं लेती है तो सारा विपक्ष इसमें नोज़ भरेगा।

अध्यक्ष महोदया : यदि सदन की राय हो तो भोजनावकाश स्थगित कर दिया जाये।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): महोदया, मेरा एक सुझाव इसमें यह रहेगा कि चूंकि 193 दो बजे लेना है। कीर्ति जी ने इसमें दो ऐसे संशोधन रखे हैं, जिन पर आपको निश्चित सरकार से बात करनी चाहिए। बजाय इसके कि हम इस बिल को हड़बड़ी में निकालें, अब एक बज रहा है, आप भोजनावकाश कर दें, दो बजे हम वह चर्चा ले लें। आपको समय मिल जाये कि आप सरकार से इस बारे में चर्चा कर लें। इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया जाये। बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजने

के बारे में आपको सरकार से बात करनी है। आप बात कर लीजिये। इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भिजवा दीजिये क्योंकि दोनों बहुत ही तर्कसंगत संशोधन हैं और इन संशोधनों पर बहुत ही ठंडे दिमाग से स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा हो जायेगी। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि बजाय अगला वक्ता बुलवाने के भोजनावकाश कर दें। दो बजे हम 193 की राष्ट्रमंडल खेलों की चर्चा ले लें। इस बीच आप सरकार से बात करके रास्ता निकालें।

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदया, भोजनावकाश कर दें।

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

13.04 hrs

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

14.02 hrs

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Two Minutes

past Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)